शोध

8

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुए प्रयासों का अध्ययन

ऋतु खन्ना*

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण उन सभी बच्चों के लिए संभावनाओं का द्वार खोलता है जो कि विशेष आवश्यकता वाले (CWSN) हैं। समावेशित शिक्षा के माध्यम से सामान्य विद्यालयों में अन्य छात्रों के साथ शिक्षाग्रहण करने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा होनी चाहिए। प्रस्तुत लेख में शोधार्थी ने यह जानने का प्रयास किया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों में क्या प्रयास किए गए हैं।

1. प्रस्तावना

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य कार्यक्रम निम्नानुसार है–

- पूरे देश के लिए ''गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा'' की आवश्यकता एवं माँग आपूर्ति करना।
- प्राथमिक शिक्षा के द्वारा बुनियादी सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक अवसर मुहैया कराना।
- पंचायतीराज संस्थाओं, पाठशाला विकास एवं प्रबंधन समितियों, ग्राम शिक्षा समितियों, शहरी कच्ची बस्तियों की शिक्षा समितियों, छात्र अभिभावक परिषद्, मातृ अभिभावक परिषद् जनजातीय स्वायत परिषदों तथा अन्य ज़मीन से जुड़ी संस्थाओं का विद्यालय प्रबंधन में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास।
- पूरे देश में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु केंद्र, राज्य, और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के मध्य सहयोग करना।
- सरकारी साधनों का प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपयोग करना।

* *सहआचार्य एवं विभागाध्यक्ष (गणित)*, पेसेफ़िक विश्वविद्यालय, उदयपुर।

सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न आयामों के अतिरिक्त सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में अध्ययन कराने पर भी बल दिया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नवाचारी वैकल्पिक शिक्षा अथवा समावेशित शिक्षा के अंतर्गत समाज एवं शिक्षा की मुख्यधारा से वंचित विकलांग बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ विशेष कार्यक्रमों की रूप-रेखा तैयार की गई है। उनके लिए छात्रावास सुविधा एवं शैक्षणिक आवासीय शिविरों के साथ-साथ विद्यालयों में रैंप, शौचालय, सहायक शिक्षण समाग्री उनकी पहुँच के अनुरूप हों, ऐसा प्रयास किया जा रहा है।

2. समस्या कथन

''विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुए प्रयासों का अध्ययन''

3. समस्या के उद्देश्य

(i) विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु निर्धारित गतिविधियों के क्रियान्वयन की स्थिति का पता लगाना।

(ii) समावेशित शिक्षा के अंतर्गत संदर्भ शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा उनकी क्रियान्विति की स्थिति को ज्ञात करना।

(iii) विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए *होम बेस्ड एजुकेशन* कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्थिति का पता लगाना।

(iv) विशेष आवश्यकता वाले अभियानों से जुड़े विद्यार्थियों/शिक्षकों/अभिभावकों में वंचित वर्ग के प्रति आयी जागरुकता का अध्ययन करना।

(v) विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में राजकीय प्रयासों के अतिरिक्त अन्य सहायक वर्गों की भूमिका एवं प्रयासों को ज्ञात करना।

(vi) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु आयोजित गतिविधियों में विद्यार्थियों/शिक्षकों/अभिभावकों की हिस्सेदारी का पता लगाना।

4. शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ

(i) सर्व शिक्षा अभियान में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु आयोजित गतिविधियों से उनकी उपलब्धि बढ़ती है।

(ii) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु कार्य योजना का लाभ सभी विकलांग विद्यार्थियों को मिलता है।

(iii) विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु आयोजित गतिविधियों में सभी विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं।

5. शोध परिसीमांकन

(i) शोध कार्य उदयपुर संभाग के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CWSN) तक सीमित है।

(ii) क्षेत्र एवं संस्था स्तर तक के जनप्रतिनिधि तथा अधिकारीगणों के अधिकारों एवं कार्यों का अध्ययन किया गया।

(iii) प्रत्येक जिले से उपलब्धता के आधार पर छह विद्यालयों एवं प्रत्येक विद्यालय से दस विद्यार्थियों का चयन किया गया।

(iv) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रशासनिक, शैक्षिक, सह शैक्षिक भौतिक एवं वित्तीय व्यवस्था का अवलोकन किया गया।

6. न्यादर्श

शोध में उदयपुर संभाग के 30 स्कूलों से 30 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सउद्देशीय विधि से न्यायदर्श को बतौर लिया गया –

क्र. स.	उत्तरदाताओं का वर्ग	लक्ष्य उत्तरदाता संख्या
1.	विद्यार्थी	300
2.	अभिभावक	150
3.	प्रधानाध्यापक	30
4.	शिक्षक	90
5.	अभियान से जुड़े अधिकारीगण	10
6.	जनप्रतिनिधि	50

7. विधि

अनुसंधान में ***सर्वेक्षण विधि*** प्रयुक्त की है।

8. उपकरण एवं प्रविधियाँ

(i) साक्षात्कार अनुसूची

(ii) अवलोकन

(iii) प्रश्नावली

9. शोध के निष्कर्ष

9.1 प्रथम उद्देश्य निर्धारित गतिविधियों के क्रियान्वयन की स्थिति का निष्कर्ष–

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु निर्धारित गतिविधियों का आयोजन समय पर और सुचारू रूप से होता है व इन गतिविधियों में विद्यार्थी अपेक्षित संख्या में भाग लेते हैं।

9.2 द्वितीय उद्देश्य समावेशित शिक्षा के अंतर्गत संदर्भ शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा उनकी क्रियान्विति की स्थिति का निष्कर्ष–

- संदर्भ शिक्षक प्रशिक्षण कैंपों का आयोजन समय-समय पर होता है जिसमें शिक्षक अपेक्षित संख्या में भाग लेते हैं।
- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद शिक्षक, बच्चों का चिह्निकरण एवं मूल्यांकन, दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित बच्चों हेतु ब्रेल एवं श्रवण यंत्रों के उपयोग की जानकारी प्राप्त कर शिक्षण व्यवस्था में बदलाव लाने हैं परंतु ब्रेल व श्रवण यंत्रों का उपयोग जानने वाले शिक्षको का प्रतिशत बहुत कम हैं।

9.3 तीसरे उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए *होम बेस्ड एजुकेशन* कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्थिति का निष्कर्ष–

ऐसे विद्यार्थी जो विद्यालय नहीं आ सकते, उनके घर शिक्षण हेतु केयर गिवर्स बच्चों के घर संपर्क कर उनकी दोषवार आवश्यकता का आकलन करते हैं तथा उनकी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं।

9.4 चौथे उद्देश्य शिक्षकों/माता-पिता/संरक्षकों हेतु आयोजित आमुखीकरण कार्यक्रमों से जुड़े विद्यार्थियों/शिक्षकों/अभिभावकों में वंचित वर्ग के प्रति आयी जागरुकता का निष्कर्ष–

शिक्षकों/अभिभावकों के आमुखीकरण कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित होते हैं जिसमें वे अपेक्षित संख्या में भाग लेते हैं जिससे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रति उनकी जागरुकता में वृद्धि हुई है। जिससे उनके बच्चों के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ है।

9.5 पाँचवे उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में राजकीय प्रयासों के अतिरिक्त अन्य सहायक वर्गों की भूमिका एवं प्रयासों की स्थिति का निष्कर्ष –

गैर सरकारी संगठनों द्वारा अंग व उपकरण वितरण, चिकित्सकीय कैंप का आयोजन एवं पूर्ण आवासीय शिविरों का संचालन किया जाता है।

9.6 छठे उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु आयोजित गतिविधियों में विद्यार्थियों/शिक्षकों/ अभिभावकों की हिस्सेदारी की स्थिति का निष्कर्ष–

- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु निर्धारित गतिविधियों में विद्यार्थियों की हिस्सेदारी रहती है और गतिविधियों में भाग लेने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं इसके अतिरिक्त शिक्षकों हेतु आयोजित गतिविधियों में शिक्षकों की हिस्सेदारी संतोषजनक रहती है।
- परिदर्शन भ्रमण वर्ष में एक बार शिक्षकों हेतु आयोजित होता है जिसमें अपेक्षित संख्या में प्रतिभागी भाग लेते हैं।
- खेलकूद प्रतियोगिता विकलांग विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमता के अनुसार होती है तथा वे उसमें उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं।
- विकलांग विद्यार्थियों में हीन भावना नहीं हो। इसके लिए *सर्व शिक्षा* ने इन प्रतियोगिताओं में दस प्रतिशत सामान्य विद्यार्थियों को भी शामिल किया है।

13. उपसंहार

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CWSN) हेतु किए गए प्रयासों से गतिविधियों में उपस्थित विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की वृद्धि तथा उसमें विद्यालय की शैक्षिक-सहशैक्षिक गतिविधियों एवं जीवन के प्रति सजगता एवं सकारात्मकता देखी गई साथ ही सक्रिय रूप से जुड़े, संबंधित शिक्षकों/अभिभावकों की संवेदनशीलता में भी अभिवृद्धि मिली। यदि अभियान में निर्धारित गतिविधियों के क्रियान्वयन के दौरान विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक/शिक्षक, अभिभावक, जनप्रतिनिधि/सामाजिक कार्यकर्ता, अभियान से जुड़े अधिकारीगण अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए स्वयं से संबंधित कर्म को निस्पृह (जिम्मेदारी एवं समर्पण) भाव से संपादित करें तो उदयपुर संभाग सहित समूचे राज्य/राष्ट्र के विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए लक्षित बिंदुओं पर सफलता अर्जित की जा सकती है।

❑❑❑